उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या–2567 / पाँच–5–2020
लखनऊ दिनाँकः 01 दिसम्बर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

चिकित्सा अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1794 / पांच–5–2020, दिनांक 10.09.2020 द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच हेतु ली जाने वाली फीस की अधिकतम धनराशि रू0–1600 / – निर्धारित की गयी है।

2– वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच हेतु ली जाने फीस एतद्द्वारा निम्नवत निर्धारित की जाती है:–

निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की जांच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड–19 की जांच कराने पर दर	रू. 700 / –(सात सौ रूपये मात्र जी0एस0टी0 सहित)
निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैम्पल की दर	रू. 900 / –(नौ सौ रूपये मात्र जी0एस0टी0 सहित)

3– आर0टी0पी0सी0आर0 जांच हेतु उक्त निर्धारित सीमा से अधिक फीस लिया जाना एपीडेमिक डिज़ीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली–2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा एवं तदनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

संलग्लक–यथोक्त।

1.12.20

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2567 (1) / पाँच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
9. इण्डियन मेडिकल एसोशिएसन, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

01/12/2020

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

p.U.O com 3